संख्याः 448/नौ–2–04(60पे0)/2003

प्रेषक,

पी0के0महान्ति
सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में ,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम
देहरादून ।

पेयजल अनुभाग देहरादूनः दिनांक 28 फरवरी, 2004

विषयः– वित्तीय वर्ष 2003–04 में विभिन्न पेयजल एंव जालोत्सारण योजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 602/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता/दिनांक–19.02.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना आयोग भारत सरकार के पत्र सख्या पी0सी0(पी) 4/3/02–एस0पी0–यू0ए0, दिनांक 28 जनवरी,04 द्वारा निम्नलिखित पेयजल /जलोत्सारण योजनाओं के लिए उनके सम्मुख अंकित विवरणानुसार कुल 1400.00 लाख (रू0–चौदह करोड़ मात्र) की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति प्रदान की गयी है । तद्नुसार श्री राज्यपाल बालू वित्तीय वर्ष 2003–2004 में रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) संगत मद से एंव रू0 1200.00 लाख (रू0 बारह करोड़ मात्र) संलग्न बी0एम0–15 के माध्यम से पुर्नविनियोग द्वारा अर्थात कुल रू0 1400.00 लाख (रू0 चौदह करोड़ मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद	योजना का नाम	अनु0 लागत	भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4	5
01	पौड़ी	पौड़ी पुनर्गठन पेयजल योजना (नानघाट गधेरा)	4357.00	500.00
02	नैनीताल	हल्द्वानी जलोत्सारण योजना प्रथम चरण	2448.20	400.00
03	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़ जलोत्सारण योजना	2623.45	500.00
		योगः–		1400.00

क्रमशः 2

2– उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक,उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी,देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एव दिनांक की सूचना शासन एव महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी ।

3– स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं योजनाओं पर आवंटन के अनुसार किया जायेगा जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है । किसी भी दशा में अन्य योजनाओं पर व्यय नहीं किया जायेगा ।

4– स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो पर उ0प्र0 शासन के वित्त लेखा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या ए–2–87(1)/4–सा–97–17(4)/75,दिनांक 27.02.1997 के अनुसार सेन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यो की कुल लागत के सापेक्ष सेन्टेज चार्जेज किसी भी रूप में 12.5 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नही होगा इसे कृपया कड़ाई से सुनिश्चित कर लिया जाय ।

5– व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल/ फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमो तथा अन्य स्थाई ओदशो के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी । निमार्ण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टेक्निकल स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

6– प्रस्तर–1 में वर्णित योजनाओं के सम्बंध में भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशो के अनुसार ही निमार्ण कार्य सुनिश्चित किया जायेगा ।

7– कार्य की गुणवत्ता एंव समयबद्धता के लिए सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तदरायी होंगे ।

8– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका,स्टोर परचेज रूल्स, टेण्डर/कुटेशन विषयक नियमों एंव अन्य तद् विषयक नियमों का अनुपालन किया जाय।

9– स्वीकृत की जा रही धनराशि का अविलम्ब उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की दिनांक 31.03.2004 की तिथि तक स्वीकृत की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त निर्धारित फार्म जी0एफ0आर0–19ए पर उपयोगिता प्रमाणपत्र भारत सरकार एंव राज्य सरकार को योजनावार कार्य की वित्तीय /भौतिक प्रगति का विवरण एंव उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर दिया जायेगा । भारत सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि का शीघ्र से शीघ्र उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा ताकि यथाशीघ्र उक्त लागत के विपरीत अवशेष धनराशि भारत सरकार द्वारा शीघ्र अवमुक्त की जा सके ।

10– उक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0101–नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं का निमार्ण(के0स0)–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1924 /वित्त अनु0–2/2004 दिनांक 24 फरवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय

(पी0के0महान्ति)
सचिव

संख्या 448 (1)/नौ–2–04(60पे0)/2003, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– आयुक्त,गढ़वाल/कुमॉयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल ।
3– जिलाधिकारी देहरादून /नैनीताल/पिथौरागढ़।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– संयुक्त सचिव,भारत सरकार,योजना आयोग(राज्य योजना प्रभाग)योजना भवन,संसद मार्ग नई दिल्ली ।
6– एडवाइजर(PHEE)भारत सरकार,शहरी विकास एंव गरीबी उपशमन मंत्रालय,निनार्ण भवन,नई दिल्ली ।
7– मुख्य महाप्रबन्धक,उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून ।
8– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री/पेयजल मंत्री।
9– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ/वित्त बजट सैल।
10– निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशाालय, ई0सी0 रोड़, देहरादून।
11– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव

बी० एम०-15 पुनर्विनियोग 2003-04

आयोजनागत

नियन्त्रक अधिकारीः- प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम
प्रशासनिक विभागः- पेयजल विभाग, उत्तरांचल शासन ।

(रू० हजार में)

प्राविधान तथा लेखाशीर्षक	मानक मद्वार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के अवशेष अवधि अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-1 में अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
2215-जलपूर्ति तथा सफाई				2215-जल पूर्ति तथा सफाई		
01-जलपूर्ति- आयोजनागत				01 जलपूर्ति आयोजनागत		
102-ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम				101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम		
01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
04- ग्रामीण सम्पूर्ण स्वच्छता (75 प्रतिशत केन्द्र पोषित)				0101-जगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण(के०स०)		
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 280000	5971	140372	133657	20-सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता 120000	140000	160000
योग- 280000	5971	140372	133657	120000	140000	160000

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156, में उल्लिखित सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग-3
संख्या 454 (क)/ वित्त अनु०-3/2004
देहरादून दिनांक 24 फरवरी, 2004

सेवा में,

महालेखाकार,
उत्तरांचल, देहरादून ।

पुनर्विनियोग स्वीकृत

एल०एम०पन्त
अपर सचिव वित्त

संख्या 455 (1)/नौ-2(60पे0)/2003 तद्दिनांक
प्रतिलिपि- निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कोषाधिकारी, देहरादून। 2. वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून। 4. प्रबन्ध निदेशक,उत्तरांचल पेयजल निगम,देहरादून।

आज्ञा से,
(कुँवर सिंह)
अपर सचिव